(2)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर वाद सं0 01/2020–21

लाल हँसदा...आवेदक

बनाम

16/–रैयत मौजा लैया...विपक्षी

आदेश

22.10.2021

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0–121/2001–02 में पारित आदेश दिनांक–19.04.2002 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने मौजा लैया के दाग सं0–895/A में जमीन बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यायालय में एस0आर0 वाद सं0–121/2001–02 दायर किया था। अंचल अधिकारी रानेश्वर के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन का किस्म "जंगल साल" है। फलतः निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में यह रिवीजन वाद दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत जमीन को खंडित कर जोत आवाद किया जा रहा है। अतः आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को प्रश्नगत जमीन आवेदक के साथ बंन्दोबस्ती करने हेतु आदेश दिया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन का किस्म "जंगल साल" है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में "जंगल साल" भूमि का बन्दोबस्ती किया जाना वर्जित है। अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:05:37 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

07 11-1-22